विचार बिन्दु

आदमी की दुर्भावना उसके दुश्मन के बजाय उसे ही अधिक दुःख देती है।
–चार्ल बक्सटन

कार्योत्तर स्वीकृति की संस्कृति उपयुक्त नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय दिया है, जिसके द्वारा उसने अपने ही निर्णय को बदल दिया। 2017 से पूर्व पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह प्रावधान था कि बडे और विशेष प्रकार के उद्योग स्थापित करने से पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाय। इस हेतु विशेषज्ञों की समिति, स्थापित होने वाले उद्योग के पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव का आकलन करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने या न करने की अनुशंसा करती थी। पर्यावरण संबंधी कानून के अंतर्गत इसका प्रावधान था। इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना था। यह देखा जाता था कि उद्योग के कारण पर्यावरण पर कितना प्रभाव पडेगा और क्या वह अत्यावश्यक है?

भारत सरकार ने औद्योगिकरण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 2017 में यह आदेश जारी किया कि पर्यावरणीय पूर्व स्वीकृति के अभाव में उद्योग लगाने का काम रोका नहीं जाएगा और यह उद्योग स्थापित होने के बाद में भी लिया जा सकेगा। ऐसी शिथिलता प्रदान करने का दबाव कई बडे औद्योगिक घरानों द्वारा बनाया जा रहा था ताकि वे तेजी से अपनी परियोजना पर काम कर सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी प्रकार की परियोजना पर काम करने से पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं रहा । इस छूट के कारण पानी का प्रदूषण, जंगलों की कटाई तथा वायु प्रदूषण बडी मात्रा में होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। इसके कारण गरीब आदिवासी लोगों को अपने विस्थापन का दंश झेलना पडा था।

पर्यावरण विदों द्वारा इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गईं। सर्वोच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सरकार के 2017 के आदेश पर 2022 में रोक लगा दी। न्यायालय ने यह कहा कि पर्यावरण के प्रकरणों में इस प्रकार से कार्योत्तर स्वीकृति का कोई अर्थ नहीं रहेगा एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की आशंका बनेगी। इस निर्णय के विरुद्ध कुछ उद्योगपति न्यायालय में गए। हाल ही में दिया गया निर्णय उसी की परिणति है। यह निर्णय तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा 2 – 1 के बहुमत से पारित किया गया। न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां ने इस बहुमत के निर्णय के विरुद्ध अपना मत दिया और स्पष्ट कहा कि पर्यावरण संबंधी अनुमोदन के बिना किसी परियोजना का कार्य प्रारंभ होना, पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। यह उल्लेखनीय है कि काम शुरू होने पर पर्यावरण की स्वीकृति लेने का दबाव समाप्त हो जाता है। कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के लिए जब प्रार्थना पत्र पर विचार होता है, तब यह बिंदु प्रमुख हो जाता है कि स्वीकृति नहीं दी गई तो किया गया करोडों रुपए का व्यय व्यर्थ हो जाएगा। हमने यह पहले भी देखा है कि कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने किसी बात को गलत माना, किंतु केवल इस आधार पर उसे छूट दे दी कि अब समय बहुत निकल चुका है और किसी भी किए गए कार्य को उलट देना संभव नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने एक बार पुन: औद्योगिक घरानों को अन्य पर्यावरणीय घटकों के साथ खिलवाड करने का अवसर प्रदान कर दिया है क्योंकि अब उन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रही है।

कार्यपालिका तो पहले ही कानून की पालना करने में लगभग असमर्थ ही रही है ।लगभग सभी प्रकार के प्रकरणों में जब कोई कानून के विरुद्ध काम हो जाता है, तो कार्यपालिका समय-समय पर उसे नियमित करने में लगी रहती है। ये कार्य चुनावों से पूर्व शिविर लगा कर किए जाते हैं।

सरकारी भूमि पर जितने भी अतिक्रमण हुए, चाहे वे चारागाह भूमि पर हों, नदी/ नाले पर हों या वन भूमि पर हों,उन सब अतिक्रमणों के पीछे केवल एक ही कारण है। जब अतिक्रमण प्रारंभ हुए तो उन्हें सरकार ने होने दिया और बाद में इस आधार पर नियमित कर दिया कि अब तो बहुत समय हो गया है, इन्हें हटाना संभव नहीं है ।

जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर कार्यरत था तो कुछ छात्रों ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षित सीटों पर प्रवेश लिया था। इसके विरुद्ध अपील होने पर,उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया कि छात्रों का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर हुआ तो है, किंतु फिर भी उनका मेडिकल कॉलेज में प्रवेश निरस्त नहीं किया जाए। ऐसा निर्णय इसलिए दिया कि वे तीन-चार वर्ष तक पढाई तो कर ही चुके हैं । यह किस प्रकार का तर्क है कि पहले तो समय पर कोई कार्रवाई न्यायपालिका अथवा कार्यपालिका न करे और बाद में उसे नियमित करने की बात करे?

इस प्रकार की प्रवृत्ति नगर निगम ,जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, कलेक्ट्रेट, खनिज विभाग, उद्योग विभाग आदि में पाई जाती है। पहले तो कानून विरुद्ध कार्यवाही को होने दें और एक बार जब ऐसा हो जाए तो बाद में यह कहेंगे कि अतिक्रमण को नियमित कर दिया जाय क्योंकि समय अधिक हो गया है, इसलिए इसे हटाना जनहित में नहीं होगा।

बहु मंजिला भवन के लिए आवश्यक ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र के बिना ही उसमें खरीददार रहना प्रारंभ कर देते हैं। सिनेमा और अस्पताल बिना फायर एन ओ सी के काम करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी कारण आग लग जाती है। हाल में जयपुर के एस एम एस हॉस्पिटल में आग लगने से कई मरीजों की मौत हो गई थी।

हमारे देश में कानून तो शायद दुनिया में सबसे अधिक हैं, किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि इनकी पालना लगभग नगण्य है । जो व्यक्ति समर्थ है, वह कानून को धत्ता बताते हुए सारे गैर कानूनी कार्य कर लेता है और फिर अपने प्रभाव से उन सबको नियमित भी करा लेता है। जो व्यक्ति कानून के अनुसार पूर्व अनुमति लेकर कोई कार्य करना चाहता है तो वह अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करता रह जाता है और दुनिया की नजरों में 'मूर्ख' ही सिद्ध होता है, जबकि कानून तोड़ने वाला होशियार कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रशासन भी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करता है।

स्पष्ट है, कार्योत्तर स्वीकृति की प्रवृत्ति, कानून की अवहेलना को ही बढावा देगी। वैसे ही, देश में सामान्य धारणा यह बनती जा रही है कि यहां पर कानून का राज नहीं है और जो व्यक्ति कानून तोडकर अवैधानिक कार्य कर ले, उसे सरकार कुछ समय के बाद स्वयं ही नियमित कर देगी। जब कोई भवन निर्माण की अनुमति चाहे तो यह अनिश्चितकाल तक नहीं दी जाएगी किंतु यदि कोई बिना किसी प्रकार का सेटबैक छोडे या भवन निर्माण के कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ भी निर्माण कर ले, उसे बाद में नियमित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति कानून के अनुसार काम करना चाहता है वह अपने आप को ठगा सा महसूस करता है।

जिस समय कृषि भूमि पर या सरकारी भूमि पर गैर कानूनी बस्तियां बस रही होती हैं, उस समय तो जयपुर विकास प्राधिकरण या नगर निगम के लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं । जब बडे स्तर पर लोग उसमें प्लॉट खरीद लेते हैं या मकान बना लेते हैं तो फिर यह बहाना बनाया जाता है कि इनको हटाया नहीं जा सकता। मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आड में गैरकानूनी काम को नियमित करने की प्रवृत्ति बढती है। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ने इसी प्रकार की प्रवृत्ति को और बढावा देने का ही काम किया है।

कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधि करने या उद्योग स्थापित करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है । यदि कार्योत्तर स्वीकृति का ही प्रावधान रखा गया तो फिर सभी लोग अनियोजित रूप से बस्तियां बसा लेंगे एवं व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ कर देंगे। इसके कारण सामान्य नगरीय व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। देखा यहभी गया है कि इन्हें नियमित करने के लिए सरकार शिविर तक आयोजित करती है और एक प्रकार से गैर कानूनी काम पर सरकारी ठप्पा लगाने का ही काम करती है।

इसी प्रकार, उद्योग की भी यही स्थिति है। यदि पर्यावरण की स्वीकृति लेना जनहित में आवश्यक मान कर कानून बनाया गया था तो फिर उद्योग लगाने से पहले इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषित करने में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही बराबर के दोषी हैं।

वन कटाई का मामला हो, वन क्षेत्र में खनन का मामला हो या नदी के पेटे से बजरी निकालने का मामला हो, केवल नाम मात्र का जुर्माना लगा कर सरकारें अपने कत्तर्व्य की इतिश्री कर लेती हैं। इन सबको केवल इस आधार पर नियमित कर दिया जाता है कि समय अधिक हो गया है ।

संभागीय आयुक्त के पद पर कार्य करते समय एक प्रकरण ऐसा आया था जिसमें नाले के बीच में अवैध अतिक्रमण करके बहु मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था । निर्माण प्रारंभ होते ही इसे जयपुर विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया था किंतु उस पर समय रहते कोई कार्रवाई न करने के कारण इस भवन का ढांचा खडा गया। इसे अंतत: न्यायालय के आदेशानुसार विस्फोटकों का उपयोग करके ध्वस्त करना पडा था। यदि समय पर नियमों की पालना करके रोक दिया जाता, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती ।

यह एक सर्व ज्ञात तथ्य है कि दिवाली के समय जिन दुकानों पर पटाखे बेचे जाते हैं उनमें अधिकांश द्वारा कोई लाइसेंस नहीं लिया जाता है । कानून के अनुसार बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखों का विक्रय नहीं कर सकता है।जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, यह चलता रहता है। जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर इसकी जांच होती है कि बिना लाइसेंस की दुकान कैसे चल रही थीं? शायद प्रशासन यह मानकर चल रहा था कि एक बार दुकान शुरू हो जाए तो बाद में हम उनका लाइसेंस दे देंगे । स्पष्ट है, चलती दुकान का लाइसेंस लेने के लिए वह "सुविधा शुल्क" देने को बाध्य हो जाता है।

वाहनों के फिटनेस का भी यही हाल है। पहले तो अनफिट वाहनों को सडकों पर चलने से नहीं रोका जाएगा और जब बहुत समय तक चलते रहेंगे तो बाद में फिटनेस बनाया जाएगा। बिना फिटनेस के वाहन चल ही कैसे सकता है, इसका कोई उत्तर विभाग द्वारा नहीं दिया जाता। ऐसा करने से कानून बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अधिकांश ऐसे वाहन प्रभावशाली जन प्रतिनिधियों अथवा अधिकारियों के ही होते हैं।

हमारे देश में कानून तो शायद दुनिया में सबसे अधिक हैं, किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि इनकी पालना लगभग नगण्य है । जो व्यक्ति समर्थ है, वह कानून को धत्ता बताते हुए सारे गैर कानूनी कार्य कर लेता है और फिर अपने प्रभाव से उन सबको नियमित भी करा लेता है।

जो व्यक्ति कानून के अनुसार पूर्व अनुमति लेकर कोई कार्य करना चाहता है तो वह अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करता रह जाता है और दुनिया की नजरों में 'मूर्ख' ही सिद्ध होता है, जबकि कानून तोडने वाला होशियार कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रशासन भी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करता है।

अंत में निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्योत्तर स्वीकृति का निर्णय एक प्रतिगामी कदम है और विशेष रूप से पर्यावरण एवं जनहित की दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। आशा है, शीघ्र ही इसकी समीक्षा होगी और इस निर्णय में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

मत्स्य उत्सव : मेहंदी, रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने दिखाया हुनर

बाबा भर्तृहरि पैनोरमा पर ही बाबा भर्तृहरि की जीवनी पर नाटिका का भव्य मंचन हुआ

अलवर, (निसं)। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन राजा भर्तृहरि पैनोरमा परिसर में मेंहदी, रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगिता एवं श्री भर्तृहरि नाटक का आयोजन हुआ।

मत्स्य उत्सव के अवसर पर भर्तृहरि पैनोरमा परिसर में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की मेहन्दी, रंगोली एवं पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट अलवर के प्रधानाचार्य ओमप्रकाश ने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 9 से 12 तक एवं कॉलेज स्तर पर मेहन्दी प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की मेहन्दी प्रतियोगिता में योगिता शर्मा प्रथम, अनुष्का द्वितीय व सुहानी सोनी तृतीय स्थान पर रही, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की मेहन्दी प्रतियोगिता में चंचल शाह प्रथम, विधि सांकला द्वितीय व एंजल विजय तृतीय स्थान पर रही तथा कॉलेज स्तर पर पिंकी जाटव प्रथम, मुस्कान द्वितीय व प्रियांशी तृतीय स्थान पर रही। इसी प्रकार पेंटिंग प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों में लाक्षी प्रथम, कनिष्का द्वितीय व आयुषी सालवान तृतीय स्थान पर रही तथा कॉलेज स्तर पर देवांश जांगिड़ प्रथम, पूजा मीणा द्वितीय व दिप्ती रानी तृतीय स्थान पर रही। रंगोली प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

चार दिवसीय मत्स्य उत्सव में मेंहदी, रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगितायें आयोजित हुई।

- मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता में पारम्परिक रंगों का दिखा समायोजन, बाबा भर्तृहरि नाटक रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र

बाबा भर्तृहरि के जीवनी पर नाटिका का हुआ मंचन :- मत्स्य उत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में बाबा भर्तृहरि पैनोरमा पर ही बाबा भर्तृहरि की जीवनी पर नाटिका का भव्य मंचन हुआ, जिसमें राजऋषि अभय समाज से जुड़े कलाकारों द्वारा बाबा भर्तृहरि की जीवन वृतांत को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत किया,जिसे स्कूली बच्चों सहित आमजन ने पूरी तनम्यता से नाटक का लुत्फ उठाया।

मत्स्य उत्सव के तीसरे दिन होंगे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित :-25 नवंबर को प्रात: सात बजे से पुरजन विहार (कम्पनी बाग) में योगा एवं मेडिटेशन का आयोजन होगा, दोपहर 2 बजे से सागर जलाशय पर हैण्डीक्राफट एवं फूड मेला का आयोजन होगा, जिसमें वुडन क्राफ्ट, सांझी कला, हैण्डी क्राफ्ट, पोटरी एवं टेरीकोटा का प्रदर्शन किया जाएगा तथा अलवर की पहचान मिल्क केक सहित पारम्परिक फूड स्टॉल्स भी लगाई जाएगी। इसी प्रकार सांय 4 बजे से होप सर्कस से सागर तक सांस्कृतिक रंगों से सराबोर शोभा यात्रा निकाली जाएगी तथा सांय 7.30 बजे से मूसी महारानी की छतरी पर राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी जिसमें विशेष झलक पद्मश्री गुलाबो द्वारा प्रस्तुत कालबेलिया नृत्य, जो मत्स्य उत्सव की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय मंच पर और भी भव्यता प्रदान करेगा। साथ ही अतुल्य अलवर के इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को भी मंच दिया जाएगा, ताकि वे अपनी कला को बड़े स्तर पर प्रस्तुत कर सकें।

इस दौरानएडीएम शहर बीना महावर, राजस्व अपील अधिकारी संजू शर्मा, पं. धर्मवीर शर्मा, हरिशंकर गोयल, पर्यटन विभाग की उप निदेशक टीना यादव, अनुरिता झा एवं हर्षिता सहित प्रबुद्ध व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी एवं आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन सुशील नागर एवं प्रेम प्रकाश शर्मा ने किया।

मांगलियावास के लिए एक्सप्रेस रोडवेज बस स्टैंड घोषित करने की मांग

अजमेर/ मांगलियावास, (कासं)। मांगलियावास सहित आसपास के लगभग 15 गांवों के ग्रामीणों ने अजमेर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मांगलियावास में एक्सप्रेस रोडवेज बसों का स्टैंड घोषित किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रात के समय आवागमन में होने वाली गंभीर परेशानी से राहत मिल सके।

ग्रामीणों ने बताया कि मांगलियावास ब्यावर और अजमेर के बीच स्थित है तथा अजमेर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। रात के समय अजमेर से मांगलियावास आने-जाने के लिए कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं रहती। शाम 7:30 बजे के बाद अजमेर और ब्यावर से न तो रोडवेज की बस मिलती है और न ही स्थानीय बस, इस कारण ग्रामीणों को मजबूरन रात गुजारनी पड़ती है या महंगे किराये पर अन्य साधन लेने पड़ते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि सुबह 6:30 बजे के बाद ही स्थानीय बसें चालू होती हैं, जिसके कारण रात की आपात स्थिति में मरीजों, छात्रों, कर्मचारियों और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पंचायत समिति सदस्य, उपसरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता सहित ग्रामीणों ने बताया कि मांगलियावास होकर अजमेर, ब्यावर, जयपुर, जोधपुर व अन्य शहरों के लिए बसों का आवागमन होता है। बसें मांगलियावास से होकर गुजरती तो हैं, लेकिन यहां रुकती नहीं है, जिससे ग्रामीणों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर झेलना पड़ता है।

- रोडवेज बसों का स्टैंड घोषित होने से लोगों को रात के समय आवागमन में होने वाली गंभीर परेशानी से राहत मिल सकेगी

ग्रामीणों ने राजस्थान रोडवेज प्रशासन से मांग की है कि मांगलियावास को एक्सप्रेस रोडवेज बसों का स्टैंड घोषित किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को रात-दिन सुविधाजनक परिवहन सेवा मिल सके। ज्ञापन सौंपने वालों में कृष्णा देवी गुर्जर (पंचायत समिति सदस्य), रामदेव जाट (प्रमुख समाजसेवी), हरिशंकर रेजर सहित स्थानीय ग्रामीण शामिल थे।

नसीराबाद राजकीय चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन चार साल से बंद

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी मशीन बंद होने का सीधा फायदा निजी केंद्रों को मिल रहा है, जनता की जेब कट रही है

नसीराबाद, (निसं)। राजकीय समान्य चिकित्सालय नसीराबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में करीब चार वर्षों से सोनोग्राफी मशीन जंग और धूल खाती पड़ी है, मगर हैरानी की बात है कि आज दिन तक इसका एक भी ऑपरेटर नियुक्त नहीं किया गया। नतीजा यह कि प्रतिदिन कई मरीज मजबूरी में निजी केंद्रों पर महंगी जांच कराने को विवश हैं।

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, मशीन अस्पताल में लंबे समय पहले उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती और गैर ज़िम्मेदारी के चलते अब तक मशीन बंद पड़ी है। हर साल अधिकारियों से 'जल्द दिशा-निर्देश' और 'प्रक्रिया जारी है' जैसे बयान मिलते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इधर, निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर जांच के लिए मनमाने शुल्क वसूले जा रहे हैं।

नसीराबाद का राजकीय समान्य चिकित्सालय।

- आज दिन तक इसका एक भी ऑपरेटर नियुक्त नहीं किया गया है
- नतीजा यह कि प्रतिदिन कई मरीज मजबूरी में निजी केंद्रों पर महंगी जांच कराने को विवश हैं

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी मशीन बंद होने का सीधा फायदा निजी केंद्रों को मिल रहा है। जनता की जेब कट रही है और अस्पताल में सुविधा होते हुए भी लोग दर-दर भटक रहे हैं। गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना पीड़ितों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जहाँ सरकार मुफ्त या सस्ती जांच की बात करती है, वहीं नसीराबाद में सरकारी मशीन बंद होने के कारण मरीजों को गैर जरूरी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चार साल में भी एक ऑपरेटर नियुक्त न कर पाना किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है। जनता तक सुविधा पहुँचाने की बजाय फाइलें ही घूम रही हैं। शहरवासियों ने जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग से तुरंत हस्तक्षेप कर मशीन को चालू कराने और ऑपरेटर की नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि मरीजों को राहत मिल सके और निजी केंद्रों की मनमानी पर रोक लगे।

श्रीगंगानगर में फसलों पर जमी बर्फ

श्रीगंगानगर, (निसं)। हिमालय की ओर से आने वाली उत्तरी हवाओं ने श्रीगंगानगर जिले में ठंड बढ़ा दी है। नमी का प्रभाव बढ़ने के साथ ही ठंड का प्रभाव भी बढ़ना शुरू हो गया है। ग्रामीण इलाकों में सुबह फसलों पर ओस की बूंदें और कोहरा देखा गया। ज्वार की फसल पर हल्की बर्फ भी जमी हुई दिखाई दी। साथ ही धुंध भी छाई रही। जिले में ठंडी हवाओं के साथ सर्दी का कहर जारी है। कृषि अनुसंधान केंद्र श्रीगंगानगर पर आज सुबह का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री रिकार्ड किया गया। रविवार को यहां न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री व अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री रिकार्ड किया गया। वहीं शनिवार को यहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री व अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री रिकार्ड किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले तीन-चार दिनों में एक से दो डिग्री तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर में सोमवार सुबह भी कड़ाके की ठंड का प्रभाव रहा। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इन दिनों मौसम रबी की फसलों के लिए अनुकूल बना हुआ है। आगामी दिनों में सर्दी का प्रभाव और बढ़ने की संभावना है। फसलों के लिए भी ठंड फायदेमंद है। फसलों में सिंचाई पानी की मांग कम होने के साथ ही बढ़वार भी अच्छी होगी।

राशिफल मंगलवार 25 नवम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:58 तक, गंड योग दिन 12:50 तक, बव करण बदन 10:10 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-मकर, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज कुमार योग और रवियोग दिन 11:58 से आरम्भ होंगे। आज श्री रामजानकी विवाह, नाग पंचमी (द.बंगाल) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:36 से 10:55 तक, लाभ-अमृत 10:55 से 1:33 तक, शुभ 2:51 से 4:10 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:58, सूर्यास्त 5:29 तक

मेष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

सिंह
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संभावित धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मकर
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी।

मिथुन
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य योजना बनेगी। व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।